15.09.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वंय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये अतः वादी का यह वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS.